

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें लाभार्थी और भागीदार दोनों ही रूपों में अन्य आर्थिक संस्थाओं के बराबर लाने के लिए कटिबद्ध है

RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है

प्रविष्टि तिथि: 09 OCT 2023 4:35PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें लाभार्थी और भागीदार दोनों ही रूपों में अन्य आर्थिक संस्थाओं के बराबर लाने के लिए कटिबद्ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। इसके लिए ऐसे शहरी सहकारी बैंक पात्र होंगे जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।

\*\*\*\*\*

**आरके/आरआर**

(रिलीज़ आईडी: 1965980) आगंतुक पटल : 248

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Assamese , Odia , Tamil , Kannada